BSES

स्पेशल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:

बिजली चोरी में फैक्टरी मालिक पर 1.48 करोड़ का जुर्माना, 2 साल की सश्रम कैद

नई दिल्ली, 21 नवंबर: बिजली की चोरी करना एक प्लास्टिक फैक्टरी के मालिक को काफी महंगा पड़ गया। अपने ऐतिहासिक फैसले में द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने टैगोर गार्डन निवासी रंजीत सिंह चौधरी को बिजली चोरी की सजा सुनाते हुए उन पर 1.48 करोड़ रूपये का जुर्माना किया। साथ ही, उन्हें 2 साल की सश्रम कैद की सजा भी सुनाई गई है। अगर वह जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें और छह महीने साधारण कैद के रूप में जेल में गुजारने होंगे।

जज का फैसला:

द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री गुलशन कुमार के आदेश के मुताबिक– बिजली चोरी करके जो वित्तीय लाभ उठाया गया है, उसके तीन गुणा रकम से कम का जुर्माना नहीं होना चाहिए। इसलिए, रंजीत सिंह चौधरी को 2 साल की सश्रम कैद और 1,48,61,194 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। भुगतान न करने की स्थिति में और छह महीने की साधारण कैद होगी।

क्या है मामला:

रंजीत सिंह चौधरी, गोल्डन पार्क, रामपुरा, टैगोर गार्डन में, चोरी की बिजली से प्लास्टिक फैक्टरी चला रहे थे। उन्हें 243 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वहां बिजली का कोई मीटर नहीं मिला। एचपी प्लास्टिक नाम से चल रही फैक्टरी की बिजली का पूरा लोड अवैध रूप से बीएसईएस की तारों पर डाला गया था। खास बात यह है कि टैफलॉन की 8 तारों के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही थी।

बिजली की चोरी करते पकड़े जाने पर, नियमों के मुताबिक, बिजली कंपनी द्वारा चौधरी पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन उन्होंने तय समय के भीतर जुर्माने की रकम का भुगमतान नहीं किया। इसके बाद, बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत, चौधरी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई और अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया।

आरोपी ने कोर्ट के समक्ष खुद को निर्दोष बताया। बल्कि, आरोपी ने यह दावा किया कि जिस फैक्ट्री की बात की जा रही है, उससे उसका कुछ भी लेना–देना नहीं। करीब 19 गवाहों और एमसीडी रेकॉर्ड्स की

मदद से, कंपनी ने यह साबित कर दिया कि रंजीत सिंह चौधरी ही उस फैक्ट्री के मालिक है और उन्हें उस परिसर में प्लास्टिक के सामान का व्यवसाय करने का लाइसेंस दिया गया था।

बिजली चोरी के नुकसानः

बिजली चोरी से सिर्फ डिस्कॉम्स को ही भारी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए भी परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि बिजली चोरी की वजह से बिजली की ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन कई गुना बढ़ जाते हैं। हालांकि, डिस्कॉम्स की एन्फोर्समेंट टीमें अनियमितताओं की चेकिंग करती हैं, लेकिन कई बार व्यवस्थित गिरोहों द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की जाती है। जब भी एन्फोर्समेंट टीमें चेकिंग के लिए इलाकों में पहुंचती हैं, ये गिरोह उन्हें घेर लेते हैं और परिसरों को चेकिंग नहीं करने देते।

बिजली चोरी का प्रतिशत

हालांकि, डिस्कॉम्स ने कड़ी मेहनत करके एटीएंडसी लॉस को 55 प्रतिशत से घटाकर, 15 प्रतिशत तक लाने में सफल हो गई हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है। अत्यधिक बिजली चोरी वाले इलाके हैंः सीलमपुर, नंद नगरी, यमुना विहार, करावल नगर, नजफगढ़, जफ्फारपुर, मुंडका, नांगलोई, शाहीन बाग, आदि। कुछ अनाधिकृत कॉलोनियों में भी बहुत अधिक बिजली की चोरी हो रही है।

प्रमुख बिजली वितरण कंवनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।